

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2011—आषाढ़ 27, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्र. 16459-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 18 जुलाई, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०११ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“७.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, आर.जी. पी.व्ही. परिसर के पास, एयरपोर्ट बायपास रोड, भोपाल (म. प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किए जाने का उपबंध करती है. उक्त उपबंध के अधीन विनियामक आयोग ने भोपाल में रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए उक्त विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १२ जुलाई, २०११.

लक्ष्मीकांत शर्मा

भारसाधक सदस्य.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2011—आषाढ़ 28, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2011

क्र. 4437-245-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक 2011 (क्रमांक 23, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 23 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
DWITIYA SANSHODHAN VIDHEYAK, 2011.**

A Bill further to amend the Mahdya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2011.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No.	Name of private University	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main Campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	Ram Krishna Dharmarth Foundation University	Ayushamati Education and Social Society, Bhopal.	Registered Society under the M. P. Society Registrakaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Ram Krishna Dharmarth Foundation University, Near R. G. P V. Campus, Airport Bypass Road, Bhopal (M. P.)	Whole of Madhya Pradesh."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), provides for evaluating of the proposal of establishment of Private University in the State by the Regulatory Commission constituted under the Act. Under the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private University, in the name of Ram Krishna Dharmarth Foundation University at Bhopal. Under Section 6 of the said Act, the State Government has issued a letter of intent to the sponsoring body of the said University, for the said purpose. Section 9 of the said Act provides that after being satisfied with the report submitted by the Regulatory Commission, a Private University shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the said Act.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 12th July, 2011.

LAXMIKANT SHARMA
Member-in-charge.